# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

**प्रकरण संख्या Raj-D 20/2017 श्री प्रतापसिंह बनाम श्री प्रकाशचन्द्र**

| तारीख हुक्म | हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 08–10–2018 | वकील अपीलान्ट व जी.ए. उपस्थित। वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 दौराने बहस व आज भी अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकर कर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक 30–10–2014 को दर्ज होकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने के बाद दिनांक 30–10–2014 से दिनांक 21–4–2015 तक पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति नहीं होने से तारीख बदली गई है। दिनांक 21–4–2015 को दिंनाक 29–5–2015 की तिथि नियत की गई। परन्तु पत्रावली दिनांक 29–5–2015 को पेश ही नहीं हुई। इसके विपरीत पत्रावली नियत दिनांक से करीब 11 दिन बाद दिनांक 10–6–2015 को अपीलान्ट प्रतिवादीगण को बिना सूचना लोक अदालत में पेश हुई तथा अधिनस्थ न्यायालय ने बिना प्रतिवादी अपीलान्ट को सूचित करे व सुने, वाद वादी खातेदारी घोषणा का डिक्री कर दिया, जो निसन्देह प्राकृतिक न्याय व विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।<br><br>अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–08–2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनिस्थ न्यायालय को **प्रतिप्रेषित** कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये न्यायिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 10–12–2018 को उपस्थित होवें।<br><br>पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08–10–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(एल.एन. मंत्री )<br>भू–प्रबन्ध अधिकारी<br>एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>उदयपुर | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

## डिगरी व सीगे अपील

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ............... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** .............मुकाम ..............
**उदयपुर** व इजलास ........... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .......................................

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

**बनाम**

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत ........... सहायक कलक्टर मु0...... ........ उदयपुर ................ मुकाम मुर्क्खे...........27............. माह .............02.......... 1993

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास ....... मिनजानिब अपीलान्ट व ........श्री संजय बोहरा .... . ......... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .................... X ...................... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

**(एल.एन.मंत्री )**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेसपोन्डेन्ट | रू0 | रू0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ................<br>2. स्टाम्प वकालत नामा.......<br>3. इजराय हुक्मनामा ............<br>4. वकील फीस बाबत .........<br>मीजान ...........<br>. | | | | | |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

**प्रकरण संख्या Raj-D 20 / 2017 श्री प्रतापसिंह बनाम श्री प्रकाशचन्द्र**

# डिगरी व सीगे अपील

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ................ **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** .............मुकाम ..............
**उदयपुर** व इजलास ........... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ........................................

श्री गांगा पिता देवा डांगी
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य –2

**बनाम**

श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य–6

अपील मूत नं0 3 / 2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ...........भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर ....... मुकाम मुर्ख्खे...........08.............. माह .............07........... 2015

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी ....... मिनजानिब अपीलान्ट व ........श्री ........................................ ......... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि ........................ प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46 / 2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.800 हैक्टर लिपिकीय / टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..................... X ....................... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

**(एल.एन.मंत्री )**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेसपोन्डेन्ट | रू0 | रू0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. स्टाम्प अपील ................<br>6. स्टाम्प वकालत नामा.......<br>7. इजराय हुक्मनामा .............<br>8. वकील फीस बाबत .........<br>मीजान ...........<br>. | | | | | |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।